गतिविधि - 10

अध्यापक परामर्श

गतिविधि - 10

अध्यापक परामर्श
(Teacher Counselling)

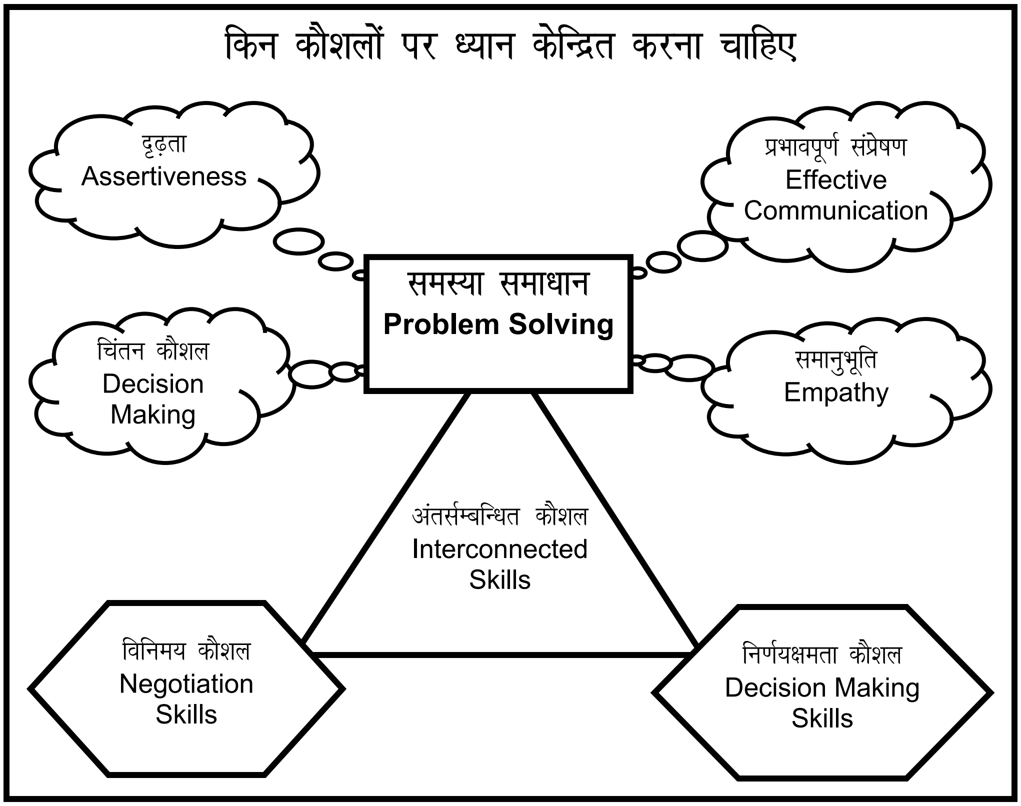

पृष्ठभूमि

किशोरावस्था मानव विकास की प्रक्रिया का एक विशिष्ट काल है जब किशोर एक विशेष प्रकार के शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन का अनुभव करता है। इस अवधि में होने वाले परिवर्तन इतने तीव्र एवं विविध होते हैं कि किशोर उन परिवर्तनों को भली प्रकार नहीं समझ पाते। यद्यपि बहुत से किशोर इस अवस्था से बिना किसी कठिनाई के गुजर जाते हैं परन्तु उनमें से बहुत से किशोरों को काफी समस्या हो जाती है तथा कुछ को तो बहुत गंभीर एवं अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ता है। इस स्थिति का मुख्य कारण यह है कि शारीरिक विकास, भावनात्मक संवेगों और व्यवहारगत परस्पर विरोधी भावों के संदर्भ में उनके मन-मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका उनको सही-सही उत्तर नहीं मिल पाता। अन्य समाजों की तरह भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में भी यौन एक निषिद्ध विषय है। समाज इस विषय पर उन्हें पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त करने के स्रोत उपलब्ध नहीं करवाता। प्रजनन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर सामान्यतः किशोरों को अपने माता-पिता, अध्यापकों से कोई परामर्श और संदर्शन नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप वे समआयु किशोरों अथवा अश्लील साहित्य पर निर्भर हो जाते हैं। दोनों ही स्रोतों से उन्हें गलत जानकारी मिलती है जिससे समस्या समाधान की अपेक्षा समस्या और अधिक बढ़ जाती है तथा उनके मन-मस्तिष्क में बहुत सी भ्रान्तियां और गलत धारणाएं पनप जाती है।

स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में किशोरों की प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद बढ़ने की प्रक्रिया, एच आई वी अथवा एड्स और मादक पदार्थों के व्यसन पर केन्द्रित, किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक तत्त्वों को स्कूली पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को आरम्भ किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस नए हस्तक्षेप से किशोर शिक्षा स्कूली पाठ्यचर्या का एक अविभाज्य अंग बन सकती है। परन्तु पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षणिक सामग्री के सशोधन व परिवर्तन की लम्बी व सतत प्रक्रिया के कारण किशोर शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति में अभी समय लगेगा। तीव्रगति से परिवर्तित हो रहे सामाजिक वातावरण और एच आई वी एवं एड्स के आक्रमण के फलस्वरूप इस समस्या की गंभीरता में हो रही वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत आवश्यक है कि स्कूली शिक्षा के माध्यम से वांछित बुनियादी सूचनाएं और जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान की जाए।

पारस्परिक प्रक्रिया के माध्यम से किशोर शिक्षा

स्कूली शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षणिक सामग्री में किशोर शिक्षा संबंधी जानकारी को सम्मिलित करने की प्रतीक्षा किए बिना ही पाठ्य सहभागी गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों, अध्यापकों और समुदायों को सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या-शिक्षा परियोजना के अंतर्गत इस महत्त्वपूर्ण कार्य को करने का उपक्रम किया गया है तथा विभिन्न प्रांतों और संघ-शासित क्षेत्र के चुने हुए स्कूलों में इन गतिविधियों को आयोजित किया गया है। किशोर शिक्षा के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'विद्यालय में किशोर शिक्षा बुनियादी सामग्री संग्रह' के चतुर्थ भाग में विद्यार्थियों के लिए गतिविधियों को रेखांकित किया गया है। संग्रह में विस्तृत प्रश्नपेटी गतिविधि भी दी गई है जो स्कूलों में किशोरशिक्षा के पक्ष में वातावरण बनाने और उसे स्वीकृति प्रदान करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य से संबन्धित मुद्दों के बारे में इच्छुक लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाना और इन मुददों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना तथा उससे भी अधिक प्रजनन स्वास्थ्य और संबद्ध समस्याओं के प्रबंधन के लिए उन्हें वांछित कुशलता प्रदान करना ही इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है। यद्यपि, सामान्यतः यह अनुभव किया जाता है कि किशोर शिक्षा से सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दे पर कौशल निर्माण के लिए उचित अध्यापन कला का अभी अभाव है। इन गतिविधियों को पर्याप्त अनुभव से परिपुष्ट किया जाए तो छात्रों में वांछित कौशल का निर्माण किया जा सकता है। इन गतिविधियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कौशल भी हैं, जिन्हें किशोरों और युवा लोगों में वांछित योग्यताओं को विकसित करने के उद्देश्य से प्रयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में परामर्श को एक प्रभावशाली रणनीति माना गया है जिसमें जीवन कौशल विकास की अद्भुत क्षमता है।

परामर्श

आमने-सामने संप्रेषण को परामर्श का नाम दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझने में सहायता करता है, समाधान के लिए संभावित कार्यनीति बनाता है, सम्बन्धित मुद्दों और समस्याओं पर निर्णय लेता है तथा उन्हें कार्यान्वित करवाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता और परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ग्राहक (ग्रहण करने वाला)

कहा जाता है। व्यवसाय के रूप में परामर्श देने को परंपरागत रूप में समस्या समाधान के साथ संबद्ध किया जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि जब परामर्श-कौशल की पहचान की गई थी तो उन्हें पहले-पहल भावनात्मक और व्यवहारगत समस्याओं, जैसे- अवसाद और मद्यपान आदि से ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया गया था।

वास्तव में परामर्श चिकित्सा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों के कार्य का प्रमुख पहलू है। ये सभी व्यवसायी अपने ग्राहकों को न केवल तकनीकी सूचनाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं बल्कि उन्हें उचित मार्गदर्शन और अवलम्बन भी प्रदान करते हैं। यद्यपि आवश्यक नहीं कि सभी ग्राहकों की समस्या बहुत गंभीर हो, किन्तु उचित परामर्श द्वारा उन्हें अपने व्यवहार के संबंध में व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए निर्णायक सहायता दी जा सकती है।

यह भी अनुभव किया जाता है कि संचार-प्रसार के सामूहिक साधनों द्वारा विविध गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत व्यवहार को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित किया जा सकता है। संचार-प्रसार के सामूहिक माध्यमों से विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान की क्षमता में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है। किंतु आमने सामने अथवा अंतरवैयक्तिक संप्रेषण की महत्ता भी कम नहीं हुई है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संप्रेषण अथवा परामर्श की सबसे अधिक उपयोगिता यह है कि एक परामर्शदाता जरूरतमन्द को आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थित सूचनाएं और मार्गदर्शन दे सकता है। एक कुशल परामर्शदाता ही व्यक्ति विशेष की समस्या का समाधान कर सकता है। परामर्शदाता अपने भाव को प्रसंगानुकूल, विशिष्ट, समझने योग्य और स्वीकार्य बना सकता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को भी यह अनुभूति होती है कि उसकी वैयक्तिक परेशानी को भली प्रकार से समझा गया है। इस प्रकार दोनों ही सक्रिय रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और सम्बन्धित मुद्दे या समस्या पर ग्राहक के अनुभव और मनःस्थिति के विषय में चर्चा करते हैं। परामर्श एक प्रकार का सकारात्मक प्रयास है जिसमें ग्राहक और परामर्शदाता खुलकर एक-दूसरे से सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं और स्वतन्त्र रूप से प्रश्न करते तथा उत्तर पाते हैं। परामर्श का आदान-प्रदान करते हुए व्यक्ति विशेष संकेतों और हाव-भावों के द्वारा भी अपनी बात और प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के वैयक्तिक आदान-प्रदान से प्रायः महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में व्यक्ति को सहायता मिलती है।

परामर्श प्रक्रिया

जब एक व्यवसायी परामर्शदाता प्रभावित व्यक्ति को परामर्श देता है तो वह एक दूसरे से सम्बन्धित और अशतः समस्तरीय शृंखला के द्वारा विवरण प्राप्त कर उस व्यक्ति की निर्णय लेने में सहायता करता है। परामर्श-प्रक्रिया के छः संभावित सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को सामूहिक रूप से गैदर **(GATHER)** का नाम दिया गया है। इस नाम के प्रत्येक शब्द से निम्न तत्त्वों का बोध होता है :

G : Greet -	ग्राहक का गर्मजोशी और विनम्रता से अभिवादन करें।
A : Ask -	उसे उसकी आवश्यकताओं और समस्याओं के बारे में पूछें।
T : Tell -	उसे संबंधित मुद्दों और समस्याओं के प्रत्येक पहलुओं के बारे में बताएं।
H : Help -	संबंधित मुद्दे और समस्या के विषय में निर्णय लेने में उसकी सहायता करें।
E : Explain-	समस्या के प्रति प्रभावित व्यक्ति को कैसे प्रतिक्रिया करनी है और कैसे उसका समाधान, इस विषय में उसे ठीक ढंग से समझाएं।
R : Return -	ग्राहक का पुनःपरामर्श हेतु आना सुनिश्चित करें तथा उसे सहयोग दें।

उपर्युक्त सभी तत्त्वों को आवश्यक माना गया है क्योंकि इन्हीं के द्वारा परामर्श की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण होती है। यद्यपि सभी परामर्श-सत्रों में इन सब सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता। वास्तव में, परामर्श GATHER के सिद्धांतों को सम्मिलित करना ही पर्याप्त नहीं है। एक अच्छा परामर्शदाता प्रभावित व्यक्ति की भावनाओं और आवश्यकताओं को भली प्रकार से समझता है और इस प्रकार अपने परामर्श को उसके अनुकूल बनाता है। यों भी परामर्श का ताना-बाना जरूरतमन्द की आवश्यकता के अनुरूप बुना जाना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझता है अतएव एक अच्छा परामर्शदाता बने-बनाए निर्णय नहीं देता, बल्कि वह प्रभावित व्यक्ति को स्वयं अपने निर्णय लेने में सहायता करता है।

परामर्शदाता के रूप में अध्यापक

परंपरागत रूप में मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और चिकित्सक ही परामर्शदाता का कर्तव्य निभा रहे हैं। किन्तु अध्यापक भी

परामर्शदाता की भूमिका निभा सकते हैं। सामान्यतया यह माना जाता है कि अध्यापक चिरकाल से यह भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि वे अपने विद्यार्थियों का न केवल अध्ययन में मार्गदर्शन करते आए हैं अपितु जीवन के अन्य पहलुओं पर भी उन्हें सलाह मशविरा देते रहे हैं। किन्तु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परामर्श सामान्य सलाह से भिन्न चीज़ है। क्योंकि सलाह-मशविरा देते हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपने निर्णय थोपता है जबकि परामर्शदाता संबंधित व्यक्ति के लिए निर्णय नहीं लेता बल्कि संतुलित और स्पष्ट निर्णय लेने में उसकी सहायता करता है। अतएव अध्यापकों को परामर्शदाता की वास्तविक भूमिका निभाने के लिए विविध प्रकार के परामर्श-कौशलों से अपने आपको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि किशोर-शिक्षा का पाठ्यक्षेत्र नया और संवेदनशील है अतएव अध्यापकों को परामर्शदाता की अपनी भूमिका को और अधिक गहनता से समझना होगा।

जैसा कि हम जानते हैं परामर्श का अर्थ एक प्रकार से शिक्षा ही है किन्तु यह शिक्षा व्यक्ति-विशेष की विशेष आवश्यकताओं पर केन्द्रित होती है। परामर्श और शिक्षा दोनों का ही उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है और इसके लिए वे संप्रेषण-कौशल पर निर्भर होते हैं। अतएव, अध्यापकों को भी किशोर प्रजनन एवं यौन-स्वास्थ्य के संबंध में विद्यार्थियों से विचार-विमर्श करने के लिए परामर्श के कुछ मौलिक कौशलों को अर्जित करना पड़ेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों का विश्वास प्राप्त करे। उन्हें किशोरावस्था की विविध समस्याओं के संबंध में, जो स्वभावतः संवेदनशील होती हैं - सही सूचनाओं के स्रोत के रूप में कार्य करना होगा। आरंभ में, यौन विकास जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विचार करते हुए उन्हें कई परेशानियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा किंतु जब एक बार वे कटिबद्ध हो जाएं तो संकोच और भय स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में अध्यापक ही विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समस्याओं को सही रूप से सुलझाने में सक्षम होते हैं। सामान्य अनुभव से भी यह ज्ञात होता है कि हमारी व्यवस्था में मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक ही विद्यार्थियों को सर्वाधिक स्वीकार्य होता है और उसके प्रयासों से ही व्यवहारगत परिवर्तन की अधिक संभावनाएं होती हैं।

परामर्श की आवश्यकताएं

एक अध्यापक को यह भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि परामर्शदाता के रूप में उसकी भूमिका उसकी वास्तविक भूमिका से भिन्न है। उसे वास्तव में ही परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अध्यापक

को स्वयं ही किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सूचनाओं को एकत्र करना होगा। उसे संबंधित विद्यार्थियों को न केवल सही और स्पष्ट सूचनाएं देनी पड़ेंगी बल्कि उसे उनके साथ विश्वासपूर्ण संबंध भी स्थापित करना पड़ेगा। एक अध्यापक/परामर्शदाता को आगे दिए गए तीन सिद्धान्तों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(क) समानुभूति का परिचय दें। समानुभूति का अर्थ है अपने आपको दूसरे की स्थिति में रखना- यह वह योग्यता है जिसके द्वारा एक परामर्शदाता परामर्श प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से उसकी स्थिति का अवलोकन करता है।

(ख) उसे संबंधित छात्रों के मनोभावों और दृष्टिकोणों का आदर करना होगा। अध्यापक का अपना मंतव्य चाहे उनसे भिन्न ही क्यों न हो।

(ग) छात्रों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का परिचय दें।

इन सिद्धान्तों पर ध्यान देने के अतिरिक्त, एक अध्यापक परामर्शदाता को परामर्श-प्रक्रिया के निम्न छः बातों का भी अनुसरण करना चाहिए।

सत्कार (Greet) :

: संबंधित छात्र जब आपसे मिले उसकी ओर पूरा ध्यान दें।

: विनम्र, मित्रवत् और सम्मानर्पूवक समस्या के बारे में पूछें।

: संबंधित छात्रों को स्पष्ट कर दें कि उनके द्वारा बताई गई बातों को वे दूसरों को नहीं बताएंगे।

: परामर्श के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां कोई दूसरा न सुन सके।

पूछना (Ask) : छात्रों से उनके आने का कारण तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पूछें।

: उनकी समस्याओं को पहचानने में उनकी सहायता करें।

: खुले, सरल व संक्षिप्त रूप में प्रश्न करें तथा प्रश्न करते हुए विद्यार्थी के हाव-भावों को ध्यान से देखें।

: छात्रों से पूछें कि वे क्या करना चाहते हैं और ध्यान से सुने की वे क्या कहते हैं ?

: प्रश्न करने वाले विद्यार्थी को टाले नहीं। उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि उनके प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं हैं अथवा परंम्परागत सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं हैं। बल्कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके प्रश्नों का प्रामाणिक समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिए।

: उनकी समस्याओं के प्रति रुचि दिखाएं और उन्हें समझते हुए समानुभूति का परिचय दें। अपने निर्णयों और मतों को उन पर न थोपें।

बताएं (Tell) : विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के संबंध में सुस्पष्ट, विशिष्ट और सही सूचनाएं प्रदान करें।

सहायता (Help) : समस्या के सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी देने के बाद संबंधित विद्यार्थियों को अपना निर्णय लेने में सहायता करनी चाहिए।

: अध्यापक को स्वयं उसके प्रति निर्णय नहीं देना चाहिए।

: यदि संबंधित विद्यार्थी को विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता हो तो उसे या उसके माता-पिता को व्यवसायी परामर्शदाता से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए।

वर्णन **(Explain)**	:	जब विद्यार्थी अपना निर्णय ले लें तो उसे उस निर्णय के परिणाम के प्रत्येक पहलुओं से अवगत करवाना चाहिए।
	:	यदि आप उचित समझें, तो संबंधित विद्यार्थी के माता-पिता से संपर्क कर बच्चे की समस्या से उन्हें अवगत कराएं तथा उसके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए यह भी बताएं।
वापसी **(Return)**	:	संबंधित विद्यार्थी को पुनःपरामर्श हेतु आने की सलाह दें।